

प्रेषक,

अधिशायी अभियन्ता

नलकूप खण्ड बाँदा

सेवा में,

निदेशक,

सूचना एवं जन सम्पर्क

लखनऊ।

पत्रांक:- /न0ख0बाँ0 / न0ख0बाँ / नि0सू0सं0-01/19-20/दिनांक:-

2020

विषय:-सार्वजनिक नीलामी सूचना सं0-01/न0ख0बाँ/19-20 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस खण्ड की सार्वजनिक नीलामी सूचना सं0-01/ न0ख0बाँ /19-20 की 06 प्रतियाँ एवं इससे सम्बन्धित सी0डी0 आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया इसका प्रकाशन हिन्दी के किन्ही 02 राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर जो इस क्षेत्र में प्रकाशित हो, 02 बार दो-दो दिन के अन्तराल में प्रकाशित कराते हुए पुष्टि हेतु इनकी एक-एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार 06 प्रतियाँ एवं सी0डी0

अधिशायी अभियन्ता

नलकूप खण्ड बाँदा

पत्रांक:- 179 /न0ख0बाँ0/ई0ई0/ नि0सू0सं0-01/19-20/दिनांक:- 09/01/2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- मुख्य अभियन्ता महोदय, (नलकूप मध्य) सिंचाई एवं जल संसाधन उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिलाधिकारी महोदय, बाँदा।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बाँदा।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, बाँदा।
- 5- अधीक्षण अभियन्ता कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सी0डी0 सहित वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6- सम्भागीय परिवाहन अधिकारी, बाँदा एवं सदस्य नीलामी समिति।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, बाँदा।
- 8- अधिशायी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, बाँदा/ हमीरपुर एवं नलकूप खण्ड हमीरपुर।
- 9- सहायक अभियन्ता प्रथम नलकूप खण्ड बाँदा।
- 10- खण्डीय लेखाधिकारी/प्रारूपकार/कैशियर नलकूप खण्ड बाँदा।
- 11- एन0आई0सी0 केन्द्र, बाँदा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त निविदा स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- 12- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशायी अभियन्ता

नलकूप खण्ड, बाँदा

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, बाँदा


सार्वजनिक नीलामी सूचना संख्या-01/न0ख0बाँ0/नीलामी/2019-20

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विवरण के अनुसार खण्ड में उपलब्ध फालतू स्कैप की नीलामी दिनांक- 20/02/2020 को कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाँदा परिसर में पूर्वाह्न 11.00 बजे निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जायेगी।

क्र0सं0	स्कैप का विवरण	मात्रा	निर्धारित न्यूनतम मूल्य रू0 में	धरोहर धनराशि मूल्य रू0 में	स्थान जहां स्कैप उपलब्ध
1	2	3	4	5	6
1	टगर ट्रैक्टर स्कार्ट रजि0नं0-UTE-3328	1	15000.00	3750.00	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाँदा परिसर/ भण्डार परिसर नवाब टैंक बाँदा
2	टगर ट्रैक्टर स्कार्ट रजि0नं0-1557	1	15000.00	3750.00	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाँदा परिसर/ भण्डार परिसर नवाब टैंक बाँदा
3	ट्रैक्टर हिन्दुस्तान रजि0नं0-UTK-1576	1	18000.00	4500.00	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाँदा परिसर/ भण्डार परिसर नवाब टैंक बाँदा
4	ट्रैक्टर युनिवर्सल? रजि0नं0-UTK-1107-6508 -TC	1	15000.00	3750.00	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाँदा परिसर/ भण्डार परिसर नवाब टैंक बाँदा
5	ट्रक रजि0नं0-UPH-486	1	35000.00	8750.00	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाँदा परिसर/ भण्डार परिसर नवाब टैंक बाँदा
6	ट्रक रजि0नं0-USS-7180	1	40000.00	10000.00	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाँदा परिसर/ भण्डार परिसर नवाब टैंक बाँदा
7	एफ0सी0 रजि0नं0-UGI-9317	1	8000.00	2000.00	कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता नलकूप खण्ड बाँदा परिसर/ भण्डार परिसर नवाब टैंक बाँदा

नीलामी की मुख्य शर्तें

- नीलामी में भाग लेने हेतु विवरण में अंकित जमानती धरोहर धनराशि प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग जमा करनी होगी।
 - बोलीदाता को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र निवास स्थान कार्यालय के पते दूरभाष संख्या नोटरी से सत्यापित करा कर टिन न0 पैनकार्ड सहित नीलामी के समय प्रस्तुत करना होगा। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नीलामी की बोली में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - उपरोक्त स्कैप जहां भी है जैसा भी है के अधार पर नीलामी की जायेगी।
 - उपरोक्त स्कैप का निरीक्षण नीलामी के पूर्व किसी भी कार्यालय कार्य दिवस मे (रविवार/सार्वजनिक अवकाश को छोडकर) फोटो युक्त मय पता के पहचान पत्र दिखाकर निरीक्षण टिप्पणी में अंकन करते हुये केन्द्रीय कार्यशाला / केन्द्रीय भण्डार नवाब टैंक परिसर बाँदा मे किया जा सकता है।
 - नीलामी समाप्त होने पर अधिकतम बोली दाता को बोली की 25प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।
 - नीलामी की स्वीकृती सक्षम अधिकारी से प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर एक मुस्त शेष धनराशि जमा करनी होगी।
 - बिक्री कर एवं अन्य कर सहित सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय से जमा न करने पर पूर्व में जमा की गयी 25 प्रतिशत जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।
 - सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के एक सप्ताह के अन्दर सामान उठाना अनिवार्य होगा, ऐसा न करने पर सम्पूर्ण धनराशि का एक प्रतिशत प्रतिदिन की दर से किराया व देखरेख प्रभार अतिरिक्त जमा करने के उपरान्त ही सामान उठा सकेंगे।
 - अधिकतम बोली दाता को छोडकर इस मद की जमा धनराशि बोली समाप्त होने के पश्चात वापिस कर दी जायेगी।
 - नीलामी के सभी निर्णयों का अधिकार नीलामी समिति को सुरक्षित रहेगा। नीलामी समिति को बिना कारण बताए नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
 - उक्त नीलामी के सम्बन्ध में किसी भी वाद या प्रकरण का न्याय क्षेत्र बाँदा होगा।
 - फर्म /बोलीदाता के पास जी0एस0टी0 नम्बर होना अनिवार्य है।
- उपरोक्त वाछिंत समस्त अभिलेखों के प्रस्तुत न करने पर नीलामी मे भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।


अधिशाषी अभियन्ता
नलकूप खण्ड, बाँदा